



# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-297/2022

दिनांक- 08-सितम्बर-2022

## प्रेस विज्ञप्ति

### थाना- रौनापार

### किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

- 1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण** – थाना रौनापार की एक महिला द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि उसकी पुत्री उम्र 15 वर्ष को असगर शेख पुत्र शमशाद अहमद सा0 सोनबुजुर्ग थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने बहला फुसलाकर पिछले तीन माह से दुष्कर्म किया गया तथा अश्लील वीडियो बनाकर घर से भागने का दबाव बनाया गया व धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 317/2022 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम (1) असगर शेख पुत्र शमशाद अहमद सा0 सोनबुजुर्ग थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्री कौशल कुमार पाठक द्वारा संपादित की गयी।
- 2. गिरफ्तारी का विवरण**..... थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक मय हमराह फोर्स के दिनांक 09.09.2022 को बघावर तिराहा के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त असगर शेख पुत्र शमशाद अहमद सा0 सोनबुजुर्ग थाना रौनापार आजमगढ़ को समय करीब 07.15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसको मा0 न्यायालय भेजा गया।
- 3. पंजीकृत अभियोग-** 1. मु0अ0सं0 317/22 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 4. आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त।
- 5. गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**  
असगर शेख पुत्र शमशाद अहमद सा0 सोनबुजुर्ग थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष
- 6. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**
  1. थानाध्यक्ष श्री कौशल कुमार पाठक का0 राहुल कुमार का0 रमेश कुमार रौनापार जनपद आजमगढ़

### थाना बिलरियागंज

### चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आज दिनांक 09.09.2022 को मय फोर्स के देखभाल क्षेत्र नया चौक कस्बा बिलरियागंज में मौजूद थे सूचना मिली कि एक व्यक्ति मधनापार तिराहा पर खड़ा है उसके पास नाजायज तमंचा हैं, पुलिस वालो द्वारा मधनापार तिराहा से मधनापार जाने वाले रोड़ पर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम धर्मेन्द्र सरोज पुत्र स्व0 परदेशी सरोज सा0 पतिला गौसपुर, थाना बिलरियागंज, जपनद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष बताया व जामा तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति का यह कार्य जुर्म अन्तर्गत धारा 3/25 शस्त्र अधि0 का अपराध पाकर बताकर समय करीब 08.30 AM बजे विधि अनुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- धर्मेन्द्र सरोज पुत्र स्व0 परदेशी सरोज सा0 पतिला गौसपुर, थाना बिलरियागंज, जपनद आजमगढ़।

### बरामदगी

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस कारतूस .315 बोर

### पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 202/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तारी स्थान

- मधनापार तिराहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 नितिन कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 विरेन्द्र कुमार सरोज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 रेनु थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

## थाना पवई

### प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैंक खाते से धोखाधड़ी कर रूपया निकालने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक- 07.9.2022 को शकुन्तला पत्नी हरिलाल ग्राम महुआ थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत की दिनांक- 28.08.2022 को समय 07.00 बजे साम को विपक्षी वसीम पुत्र नूर मोहम्मद, जियालाल पुत्र संजू निवासीगण ग्राम सहदुल्लाहपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 3.5 लाख रुपया मिल रहा है कहकर आधार कार्ड, पासबुक की छाया प्रति व एक फोटो घर पर बुलाकर प्रधानमंत्री फार्म, आधार कार्ड, पासबुक की छाया प्रति पर काली स्याई से चार बार अंगुठा लगवाकर दिनांक 03.09.2022 को बैंक आफ बडौदा खैरुद्दीनपुर से वादिनी के खाता संख्या – 111402010003283 से 10-10 हजार करके 20 हजार व आदि 22 खातोदारों के खाता से कुल 252950/ रुपया निकाल लेने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 269/22 धारा 419/420/467/471 भादवि विरुद्ध 1.वसीम पुत्र नूर मोहम्मद,2. जियालाल पुत्र संजू निवासीगण ग्राम सहदुल्लाहपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण:-** उ0नि0 अमरनाथ पाण्डेय मय हमराह द्वारा दिनांक 9.9.2022 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जियालाल पुत्र संजू निवासीगण ग्राम सहदुल्लाहपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को समय करीब 11.45 बजे बागबहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पूछताछ विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब पैसा के लालच मे आकर के लोगों से धोखाधड़ी कर लिया था एवं अंगुठा फार्म पर लगवा लिया था आधार कार्ड, पासबुक की छाया प्रति एवं व्यक्तियों का एक –एक फोटो ले लिया था।

**पंजीकृत अभियोग:** मु0अ0सं0 269/2022 धारा 419/420/467/471 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास:-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार अभियुक्त:—**

जियालाल पुत्र संजू निवासी ग्राम सहदुल्लापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1.उ0नि0 अमरनाथ पाण्डेय का0 रजनीश शुक्ला थाना पवई जनपद आजमगढ़

## थाना- जहानागंज

### मारपीट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 29.07.22 को वादी मुकदमा विजय सरोज s/o मोहन सरोज ग्राम मसीवीर महुआ पोस्ट मन्दे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत की जमीनी विवाद को लेकर जहीन्द यादव s/o मनीराम यादव आदि 06 नफर द्वारा वादी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गुप्ता दिया गया, मना करने उपरोक्त द्वारा लाठी डण्डे व मारा पीटा गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 317/22 धारा- 323, 504, 308, 34, 352, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(va) SC ACT पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण:**

**दिनांक- 09.09.2022** को उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अवधेश यादव उपरोक्त भुजही पुलिया के पास समय करीब 11.05 बजे अवधेश यादव पुत्र हरिकेश यादव निवासी हथौटा थाना जहानागंज आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग:-**

मु0अ0सं0 317/22 धारा- 323, 504, 308, 34, 352, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(va) SC ACT थाना जहानागंज आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अवधेश यादव पुत्र हरिकेश यादव निवासी हथौटा थाना जहानागंज आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण**

1.सौम्या सिंह क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़

2- उ0नि0 उमाकान्त त्रिपाठी थाना जहानागंज आजमगढ़

3- का0 संदीप पाल, थाना जहानागंज आजमगढ़

4- म0का0 साधना सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़